न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2067–दो/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–7–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 62/अ–68/98–99.

.....

मोहनलाल तनय अर्जनलाल जैन (मृत)
फौत शाहगढ़, तहसील बंडा, जिला सागर
वारिसः–

1 श्रीमति कमलाबाई पत्नि मोहनलाल जैन
2 दिलीप कुमार तनय मोहनलाल जैन
3 विजय कुमार तनय मोहनलाल जैन
4 कु0 रागनी पुत्री मोहनलाल जैन
5 खेमचंद तनय मोहनलाल जैन
6 कु0 प्रीति ना0बा0 पुत्री मोहनलाल जैन
द्वारा बली एवं पालक श्रीमति कमलाबाई
7 कु0 ज्योति ना0बा0 बली मां एवं पालक
श्रीमति कमलाबाई
सभी निवासी ग्राम शाहगढ़ तहसील बंडा,
जिला सागर म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, सागर

.....अनावेदक

.....

श्री राजेश सैन अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-9-15 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 2067–दो/2002 राजस्व मण्डल में अपर आयुक्त, सागर के प्रकरण क्रमांक 62/अ–68/98–99 में पारित आदेश दिनांक 3–7–2002 से परिवेदित होकर प्रस्तुत हुआ था ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । निगराकारों के बताये अनुसार उनके पति एवं पिता स्व0 मोहनलाल को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 931 में वर्ष 1981 में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिया गया था । वर्ष 1996 में इस कब्जे की भूमि पर निगराकार पक्ष का अतिक्रमण मानते हुए उनके विरूद्ध नायब तहसीलदार, शाहगढ़, तहसील बण्डा द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई, एवं आदेश दिनांक 11–3–97 द्वारा उन्हें अतिक्रामक पाने के उपरान्त, बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ की गई । निगराकारों के पूर्वज/पति मोहनलाल ने इसकी अपील एसडीओ, बण्डा के समक्ष की, जिसे एसडीओ ने उनके आदेश दिनांक 15–9–98 से अपास्त किया । इसके विरूद्ध निगराकार पक्ष अपर आयुक्त, सागर के समक्ष द्वितीय अपील में गया, जहां समयावधि के बिन्दु पर प्रकरण खारिज होने पर निगराकार राजस्व मण्डल में आए ।

3/ निगराकारों के अधिवक्ता द्वारा तर्क के मौके पर निगरानी मेमों के आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया । गैर निगराकार म0 प्र0 शासन की ओर से कोई तर्क के दौरान उपस्थित नहीं हुआ ।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण के सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर निम्न बिन्दु प्रकरण में टीप किए जाते है :–

1) निगराकारों द्वारा समय समय पर यह कहा गया है कि 1981 में उन्हें विषयांकित भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत से मिला था, किन्तु इससे संबंधित अभिलेख (पट्टे का आदेश आदि) उनके द्वारा ना तो इस और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं ।

2) नायब तहसीलदार, शाहगढ द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण कमांक 334/अ–68/95–96 की आदेश पत्रिका पर दिनांक 11–3–97 पर दिये आदेश में यह स्पष्टतः लिखा है कि निगराकार पक्ष ने विषयांकित भूमि पर, जो कि कीमती शासकीय भूमि है, पर शटर लगाकर लाभ की दृष्टि से 4 दुकानें बनाई हैं, जिस कृत्य के विरूद्ध उन्होंने अपना आदेश दिया है ।

3) अपर आयुक्त के समक्ष निगराकार पक्ष ने विलंब के कारण दर्शाते हुए उसकी माफी हेतु कोई आवेदन या शपथ पत्र नहीं लगाया । इस न्यायालय के निगरानी मेमों में निगराकारों ने यह लिखा है कि मोहनलाल की मृत्यु कैन्सर की बीमारी से अतिरिक्त कमिश्नर के यहां अपील लंबित रहने के दौरान हुई, तथा मोहनलाल की बीमारी के चलते वे अपर आयुक्त के समक्ष अपील समय सीमा में नहीं लगा सके । किन्तु उन्होंने ना तो स्व0 मोहनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र और ना ही कैन्सर की बीमारी का कोई चिकित्सकीय प्रमाण कहीं भी प्रस्तुत किया है । इस सबके चलते अपर आयुक्त ने उनके आदेश में कारणों का उल्लेख करते हुए, विलंब को माफ ना कर, अपील निरस्त की है ।

5/ उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के प्रकाश में मै अधीनस्थ न्यायालयों के इस वाद विषय से संबंधित किसी भी आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता । निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण दा0द0 हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख लौटाए जाएं ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर